कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बस्ती।

संख्या 21 /एक- दिनांक बस्ती // सितम्बर 2020

आदेश-

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या 2313/vIIb-104/admin 'D' section/ इलाहाबाद दिनांकित 09-02-2018 से उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा [प्रथम संशोधन] नियमावली 2017 में दिए गये प्रावधान के अनुसार चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में पदोन्नति करने हेतु निर्देशित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गये निर्देश में दिनांक 03-09-2020 को चयन समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में उत्तर प्रदेदश राज्य जिला न्यायालय सेवा [प्रथम संशोधन] नियमावली 2017 की अनुसची 'बी' के क्रम संख्या-5 के प्रावधान के अनुसार कनिष्ठ सहायक पद की रिक्तियों का 80 प्रतिशत पद प्रत्यक्ष नियुक्ति की प्रक्रिया से प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की जाएगी, शेष 20 प्रतिशत की नियुक्ति ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो हाईस्कूल पास हो, जिनकी 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण हो चुकी हो, वरिष्ठता एवं पद से न्यस्त कर्तब्यों के निर्वहन करने हेतु सक्षमता के आधार पर 9 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति किया जाना है।

अतएव जनपद न्यायालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से उक्त अहर्ता रखने वालें इच्छुक कर्मचारियों से कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 28-09-2020 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र उक्त दिनांक तक प्रशासनिक कार्यालय को प्राप्त कराये।

सर्व सम्बन्धित सूचित हों।

जनपद न्यायाधीश
बस्ती।

जनपद न्यायाधीश
बस्ती।

जिला एवं सत्र न्यायालय बस्ती {उ०प्र०}

बैठक कार्य वृत्तः–

आज दिनांक 14.09.2020 को समय 01.30 पी०एम० पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्ती के विश्राम कक्ष में चयन समिति की बैठक आहूत की गयी। बैठक में अध्यक्ष श्री अमरजीत त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्ती, सदस्यगण श्री पृथ्वीपाल यादव प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्ती एवं श्रीमती श्वेता यादव सिविल जज [सी०डि०] बस्ती उपस्थित रहे।

आज की चयन समिति की बैठक में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रेषित पत्रांक संख्या 2313/VII-b-104/एडमिन[डी] सेक्शन/ इलाहाबाद फरवरी 09, 2018 में दिये गये निर्देशानुसार चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार किया गया।

जिला एवं सत्र न्यायालय बस्ती में दिनांक 21-06-2017 से दिनांक 30-06-2020 तक तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के पदो की रिक्त संख्या-51 है। दो पेड अप्रेन्टिस, जिला एवं सत्र न्यायालय बस्ती में कार्यरत हैं। सामान्य नियमावली सिविल 1957 के नियम 629 के अनुसार न्यायालय के कार्यालय की, जिसमें वह नियोजित हैं, निचले ग्रेड की समस्त नियुक्तियों पर नियुक्तियाँ किये जाने हेतु अन्य समस्त कैन्डीडेटस पर अधिमान देकर शिवाय उन केन्डीडेटस के जो प्रतिष्ठान के पदो में कटौती होने के कारण अलग कर दिये गये हैं, अप्रेन्टिस का दावा होगा। इस तरह 51 रिक्त पदों में से 2 पद कम करने पर रिक्त पदों की संख्या 49 शेष रह जाती है, जिसके सापेक्ष उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा [प्रथम संशोधन] नियमावली 2017 की अनुसूची 'बी' में अभिनिर्धारित मापदण्ड के अनुसार 20 प्रतिशत पदों पर चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति किया जाना है। रिक्त 49 पदों का 20 प्रतिशत 9.8 पद होता है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए कुल 9 पदों पर चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति किया जाना है। **उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा [प्रथम संशोधन] नियमावली 2017 की अनुसूची 'बी' के क्रम संख्या 5[b] में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से जो हाई स्कूल पास हों, जिनकी कम से कम 5 वर्ष संतोषजनक सेवा पूर्ण हो गयी हो, ऐसे कर्मचारियों की वरिष्ठता एवं पद से न्यस्त कर्तब्यों के निर्वहन करने हेतु सक्षमता के आधार पर की जानी है।**

पद से न्यस्त कर्तब्यों के निर्वहन करने हेतु सक्षमता के लिए चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति को दृष्टिगत रखते हुए चयन समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः–

1- चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में कर्मचारियों की पदोन्नति, विगत पाँच वर्षों में उनकी चरित्र पंजिका में की गयी प्रविष्टि एवं सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

2-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के चरित्र पंजिका में विगत पाँच वर्षों में की गयी प्रविष्टि के आधार पर 50 अंक निर्धारित किये जाते हैं तथा सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा के 50 अंक निर्धारित किये जाते हैं।

3– चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के चरित्र पंजिका में विगत पाँच वर्षों में की गयी वार्षिक प्रविष्टि के आधार पर अर्जित अंक एवं सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक का योग 50 प्राप्त होने पर ही, चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति दी जाएगी।

4– चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के चरित्र पंजिका में विगत पाँच वर्षों में की गयी प्रविष्टि के आधार पर सर्वोत्तम के लिए 10 अंक, अतिउत्तम के लिए 8 अंक, उत्तम के लिए 6 अंक, औसत के लिए 4 अंक एवं खराब के लिए –2 अंक निर्धारित किये जाते हैं। जिस वर्ष संबंधित कर्मचारी की चरित्र पंजिका में कोई प्रविष्टि न हो, तो उसे औसत मान कर गणना की जायेगी।

5– परीक्षा की शुचिता बनी रहे और परीक्षा पर सतर्क दृष्टि रखी जा सके, जिसके लिए, सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा के संचालन हेतु एक 'परीक्षा समिति' का गठन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्ती द्वारा किये जाने के लिए प्रस्तावित किया जाता है।

6--सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा दिनांक 04–10–2020 को समय 10–30 ए०एम० पर प्रस्तावित की जाती है।

कार्यवृत्त को संबंधित कर्मचारियों के मध्य प्रचालित किया जाय एवं एक प्रति जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्ती के सूचना पट पर चस्पा किया जाय।

Shweta yadav 14/9/2020 — 14/09/20 — 14.9.2020

[श्वेता यादव]	[पृथ्वीपाल यादव]	[अमर जीत त्रिपाठी]
सदस्य,	सदस्य,	अध्यक्ष,
सिविल जज [सी०डि०]	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बस्ती।	बस्ती।	बस्ती।

कार्यालय, परीक्षा समिति जनपद न्यायालय, बस्ती।

आदेश–

सर्व सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि दिनांक 04.10.2020 को समय 10.30 बजे प्रातः दस कक्षीय भवन में स्थित सभागार में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी कर्मचारियों में पदोन्नति हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएंगा। अतः जिन कर्मचारियों द्वारा चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति हेतु आवेदन किया गया है, वे परीक्षा कक्ष में परीक्षा हेतु निर्धारित समयावधि मे आधा घण्टा पूर्व उपस्थित रहें।

सभी अभ्यर्थी परीक्षा हेतु लेखन सामग्री में पेन– {नीला/काला} के साथ आएंगे, इसके अलावा परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रानिक उपकरण पूर्णतः निषिद्ध है।

29/09/20

अध्यक्ष, परीक्षा समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम बस्ती।
दिनांकः– 29.09.2020

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बस्ती।

संख्या 286 /एक- दिनांक बस्ती 29 सितम्बर 2020

आदेश-

प्रशासनिक आदेश संख्या 275/2020 दिनांकित 16.09.2020 के द्वारा चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति के लिए चयन समिति द्वारा प्रस्तावित परीक्षा समिति का गठन किया गया था जिसमें श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, अनन्य विशेष न्यायाधीश [एस०सी०/ एस०टी०एक्ट] बस्ती को अध्यक्ष तथा सदस्य के रूप में श्री अब्दुल क्यूम, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्ती, श्री मुकेश कुमार सिंह 'प्रथम' विशेष न्यायाधीश [ई०सी०एक्ट]/चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्ती, श्री ब्रजेशमणि त्रिपाठी, विशेष अनन्य न्यायालय [पोक्सो अधिनियम] बस्ती, श्री प्रदीप कुमार राम, अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्ती, श्रीमती पारूल पँवार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. बस्ती को बनाया गया था। श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, अनन्य विशेष न्यायाधीश [एस०सी०/ एस०टी०एक्ट] बस्ती कोरोना पाजिटिव पाये गये तथा श्रीमती पारूल पँवार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफ.टी.सी. बस्ती का स्थानान्तरण माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अन्य जनपद में हो गया है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए प्रशासनिक आदेश संख्या 275/2020 दिनांकित 16.09.2020 को निम्नवत उपान्तरित किया जाता है:-

1- श्री पृथ्वीपाल यादव,
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्ती .... अध्यक्ष।

2- श्री अब्दुल क्यूम,
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्ती .... सदस्य,

3- श्री मुकेश कुमार सिंह प्रथम,
विशेष न्यायाधीश [ई०सी०एक्ट]/चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्ती
.... सदस्य,

4- श्री ब्रजेशमणि त्रिपाठी,
विशेष अनन्य न्यायालय [पोक्सो अधिनियम] बस्ती .... सदस्य,

5- श्री प्रदीप कुमार राम,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित गति न्यायालय, बस्ती .. सदस्य,

6- श्रीमती तृषा मिश्रा,
प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बस्ती .... सदस्य,

उपरोक्त गठित परीक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यगण प्रशासनिक आदेश संख्या 275/2020 दिनांकित 16.09.2020 में दर्शित दिशानिर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

सर्व सम्बन्धित सूचित हों।

29.9.2020

जनपद न्यायाधीश
बस्ती।

जनपद न्यायाधीश
बस्ती।

प्रेषक,

अमर जीत त्रिपाठी
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बस्ती।

सेवा में,

श्रीमान उप निबन्धक {जी.}
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

पत्रांक संख्या 2463 /बस्ती/ दिनांक अक्टूबर 14-2020

विषयः- पत्रांक सं०-8892/ve-60/ एडमिन 'डी' सेक्शन/इलाहाबाद दिनांकित 12.10. 2020 द्वारा बांछित आख्या के संदर्भ में-

महोदय,

उपर्युक्त पत्रांक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का कनिष्ठ सहायक {तृतीय श्रेणी कर्मचारी} के पद पर पदोन्नति, उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा नियमावली 2013 के प्रथम संशोधन 2017 के अनुसार एवं पेड अप्रेन्टिस से तृतीय श्रेणी कर्मचारी {कनिष्ठ सहायक} के पद पर पदोन्नति किये जाने के संबंध में, आदेश के अनुपालन की अपेक्षा पत्रांक संख्या 18416/Ve-60/एडमिन 'डी' सेक्शन/इलाहाबाद दिनांकित 16-12-2019, 1991/Ve-60/एडमिन 'डी' सेक्शन/इलाहाबाद दिनांकित 07-02-2020, 5291/Ve-60/एडमिन 'डी' सेक्शन/इलाहाबाद दिनांकित 25-06-2020 से की गयी है, जिसके संदर्भ में दिनांक 04.09.2020 एवं दिनांक 03.10.2020 को प्रगति रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है।

उपर्युक्त क्रम में सादर पुनः अवगत कराना है कि चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति हेतु दिनांक 14.09.2020 को चयन समिति की बैठक में सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि 'उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा [प्रथम संशोधन] नियमावली 2017 की अनुसूची 'बी' के क्रम संख्या 5{b} में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से जो हाई स्कूल पास हों और जिनकी कम से कम 5 वर्ष संतोषजनक सेवा पूर्ण हो गयी हो, ऐसे कर्मचारियों की वरिष्ठता एवं पद से न्यस्त कर्तब्यों के निर्वहन करने हेतु सक्षमता के आधार पर की जानी है।' पद से न्यस्त कर्तब्यों के निर्वहन करने हेतु सक्षमता सुनिश्चित करने के लिए एक लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 04.10.2020 को होना सुनिश्चित किया गया था। इसी दौरान दिनांक 28.09.2020 को जनपद न्यायालय परिसर बस्ती में कोविड-19 के परीक्षण हेतु लगाये गये शिविर में चतुर्थश्रेणी कर्मचारी श्री मनीष कुमार नायक एवं श्री शिवगुलाम कोरोना पाजिटिव पाये गये। इनके द्वारा भी चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति हेतु आवेदन किया गया है, इन्हें कोरोना पाजिटिव होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 04.10.2020 को आयोजित लिखित परीक्षा का दिनांक परिवर्तित कर दिया गया है और यह लिखित परीक्षा अब दिनांक 18.10.2020 को होना निश्चित किया गया है।

माननीय महोदय को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

संलग्नकः-यथोक्त

भवनिष्ठ,

दिनांक 14.10.2020

14.10.2020

{अमर जीत त्रिपाठी}
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्ती।

जनपद न्यायाधीश
बस्ती।